भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1461
(12 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीडीयू-जीकेवाई के अन्तर्गत न्यूनतम प्लेसमेंट दर

1461. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू जीकेवाई) शुरू की गई थी और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन केंद्रों में कुल कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और कितनों को रोजगार मिला;
(ग) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य केंद्रों के लिए आवंटित धन का उपयोग किया है; और
(घ) उक्त अवधि के दौरान वास्तविक प्लेसमेंट दर सहित डीडीयू-जीकेवाई में दी गई न्यूनतम प्लेसमेंट दर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एक सतत योजना है और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रही है तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुशल युवाओं की एक अच्छी संख्या राज्य द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक नियमित मासिक मजदूरी

वाली नौकरियां प्राप्त कर रही है। पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उपलब्धि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): डीडीयूजीकेवाई के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रशिक्षित और नियोजित किए गए अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित	नियोजित
2020-21	38,289	49,563
2021-22	97,006	45,612
2022-23	229,024	142,136
2023-24 (माह अक्टूबर 2023 तक	120,554	52,058

(ग): डीडीयू-जीकेवाई नियोजन से जुड़ी एक मांग आधारित योजना है। पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान डीडीयू-जीकेवाई योजना के लिए आवंटित कुल निधियों और इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी/उपयोग की गई कुल निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित निधियाँ (बीई)	जारी निधियाँ (रु लाख में)
2018-19	121530.64	121528.94
2019-20	187217.28	187197.65
2020-21	107685.20	107666.72
2021-22	2189.11	1304.28
2022-23	9405.05	9283.83

(घ): डीडीयू-जीकेवाई के तहत न्यूनतम नियोजन प्रतिशत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का 70% है। विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तुलना में नियोजन दर का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-I में** दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 12.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1461 के भाग (क) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीडीयू-जीकेवाई के तहत पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक के दौरान नियोजन दर सहित प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का राज्य-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 18-19			वित्तीय वर्ष 19-20			वित्तीय वर्ष 20-21			वित्तीय वर्ष 21-22		
		प्रशिक्षित	नियोजित	नियोजन दर	प्रशिक्षित	नियोजित	नियोजन दर	प्रशिक्षित	नियोजित	नियोजन दर	प्रशिक्षित	नियोजित	नियोजन दर
1	आंध्र प्रदेश	26384	24894	94.4	15933	10795	67.8	4156	2177	52.4	1606	2135	132.9
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	84	0	0.0	28	33	117.9	233	71	30.5
3	असम	16725	7397	44.2	11993	13862	115.6	1966	3296	167.7	3553	916	25.8
4	बिहार	10729	5815	54.2	14301	5916	41.4	2687	2745	102.2	7099	2491	35.1
5	छत्तीसगढ़	7206	2583	35.8	9798	3842	39.2	1109	3683	332.1	6499	2883	44.4
6	गुजरात	5190	1482	28.6	3084	2249	72.9	240	875	364.6	830	599	72.2
7	हरियाणा	1712	3329	194.5	1948	6013	308.7	26	1213	4665.4	1772	680	38.4
8	हिमाचल प्रदेश	2845	427	15.0	1980	1073	54.2	0	117		334	10	3.0
9	जम्मू और कश्मीर	4283	689	16.1	10516	1319	12.5	3454	1945	56.3	2300	1102	47.9
10	झारखंड	9668	3585	37.1	1286	8224	63.9	1050	1879	179.0	4035	1354	33.6

					6								
11	कर्नाटक	7895	5411	68.5	5797	7226	124.7	769	1649	214.4	1442	673	46.7
12	केरल	13736	9656	70.3	12812	8390	65.5	3053	2931	96.0	3219	1097	34.1
13	मध्य प्रदेश	9442	4443	47.1	10433	7348	70.4	903	969	107.3	6825	3977	58.3
14	महाराष्ट्र	19321	4500	23.3	13521	12765	94.4	874	3319	379.7	348	1612	463.2
15	मणिपुर	598	0	0.0	1780	573	32.2	338	387	114.5	811	139	17.1
16	मेघालय	829	253	30.5	1518	686	45.2	83	158	190.4	456	241	52.9
17	मिजोरम	157	0	0.0	554	359	64.8	37	88	237.8	105	94	89.5
18	नागालैंड	301	0	0.0	1220	403	33.0	221	278	125.8	1009	614	60.9
19	ओडिशा	41545	31237	75.2	43278	30607	70.7	7978	7729	96.9	10474	4828	46.1
20	पंजाब	2787	1443	51.8	2002	1311	65.5	2922	1931	66.1	6976	4188	60.0
21	राजस्थान	10217	3380	33.1	14530	4692	32.3	981	1759	179.3	3096	3130	101.1
22	सिक्किम	64	64	100.0	462	32	6.9	0	43		90	0	0.0
23	तमिल नाडु	3151	185	5.9	9685	3324	34.3	213	1286	603.8	8228	2941	35.7
24	तेलंगाना	16827	15604	92.7	9731	6839	70.3	2752	1436	52.2	3177	2494	78.5
25	त्रिपुरा	1816	2082	114.6	1407	524	37.2	21	609	2900.0	1049	193	18.4
26	उत्तर प्रदेश	18284	4839	26.5	24895	7341	29.5	1540	4068	264.2	16898	3765	22.3
27	उत्तराखं	1145	253	22.1	1518	672	44.3	367	416	113.4	3645	917	25.2

	ड												
28	पश्चिम बंगाल	8652	3700	42.8	9531	3829	40.2	521	2544	488.3	732	2424	331.1
29	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	44	26.7
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	कुल	241509	137251	56.8	247177	150214	60.8	38289	49563	129.4	97006	45612	47.0

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 22-23			दिनांक 10.11.23 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 का अक्तूबर, 2023 तक विवरण (केबी)			संचयी योग		
		प्रशिक्षित	नियोजित	नियोजन दर	प्रशिक्षित	नियोजित	नियोजन दर	प्रशिक्षित	नियोजित	नियोजन दर
1	आंध्र प्रदेश	18651	14441	77.4	12079	5007	41.5	**78809**	**59449**	**75.4**
2	अरुणाचल प्रदेश	608	264	43.4	262	90	34.4	**1215**	**458**	**37.7**
3	असम	11891	6178	52.0	6168	3763	61.0	**52296**	**35412**	**67.7**
4	बिहार	11490	7861	68.4	4606	2878	62.5	**50912**	**27706**	**54.4**
5	छत्तीसगढ़	9725	8145	83.8	1643	1550	94.3	**35980**	**22686**	**63.1**
6	गुजरात	2912	1203	41.3	1890	1102	58.3	**14146**	**7510**	**53.1**
7	हरियाणा	5553	2645	47.6	5538	1602	28.9	**16549**	**15482**	**93.6**
8	हिमाचल प्रदेश	3967	2327	58.7	2867	1170	40.8	**11993**	**5124**	**42.7**

9	जम्मू और कश्मीर	5459	2428	44.5	738	606	82.1	**26750**	**8089**	**30.2**
10	झारखंड	10201	6983	68.5	6879	2815	40.9	**44699**	**24840**	**55.6**
11	कर्नाटक	3757	2526	67.2	2026	871	43.0	**21686**	**18356**	**84.6**
12	केरल	8370	5092	60.8	2895	1298	44.8	**44085**	**28464**	**64.6**
13	मध्य प्रदेश	15653	11742	75.0	7170	4419	61.6	**50426**	**32898**	**65.2**
14	महाराष्ट्र	5977	2481	41.5	1956	776	39.7	**41997**	**25453**	**60.6**
15	मणिपुर	1921	815	42.4	137	215	156.9	**5585**	**2129**	**38.1**
16	मेघालय	2165	1303	60.2	975	584	59.9	**6026**	**3225**	**53.5**
17	मिजोरम	344	319	92.7	481	105	21.8	**1678**	**965**	**57.5**
18	नागालैंड	2371	1466	61.8	1030	810	78.6	**6152**	**3571**	**58.0**
19	ओडिशा	16475	12110	73.5	2473	2420	97.9	**122223**	**88931**	**72.8**
20	पंजाब	8119	7714	95.0	8575	3656	42.6	**31381**	**20243**	**64.5**
21	राजस्थान	5924	5318	89.8	4011	1043	26.0	**38759**	**19322**	**49.9**
22	सिक्किम	859	328	38.2	706	188	26.6	**2181**	**655**	**30.0**
23	तमिलनाडु	15224	9079	59.6	8155	2919	35.8	**44656**	**19734**	**44.2**
24	तेलंगाना	4165	1230	29.5	25	71	284.0	**36677**	**27674**	**75.5**
25	त्रिपुरा	2244	1015	45.2	1515	398	26.3	**8052**	**4821**	**59.9**
26	उत्तर प्रदेश	36503	18147	49.7	28200	6811	24.2	**126320**	**44971**	**35.6**
27	उत्तराखंड	8280	4590	55.4	3834	2342	61.1	**18789**	**9190**	**48.9**
28	पश्चिम बंगाल	9239	4105	44.4	2874	2165	75.3	**31549**	**18767**	**59.5**
29	पुडुचेरी*	844	244	28.9	521	269	51.6	**1530**	**557**	**36.4**
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह*	133	37	27.8	325	115	35.4	**458**	**152**	**33.2**

	कुल	229024	142136	62.1	120554	52058	43.2	**973559**	**576834**	**59.3**

i. – दर्शाता है कि इस वर्ष में यह कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ।

ii. * दर्शाता है कि पुदुचेरी में वर्ष 2020-21 में और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में वर्ष 2021-22 में प्रशिक्षण कार्य शुरू हुआ, परन्तु उसी वर्ष के दौरान पूरा नहीं हुआ।

iii. कुछ राज्यों में, कुछ वर्षो में नियोजित अभ्यार्थियों की संख्या प्रशिक्षित अभ्यार्थियों की संख्या से अधिक है क्योंकि विगत्त वर्षो में प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को भी नियोजित किया गया है।